

03

आइ.टी.मैनजर

11-यात्रा व्यय			
0002.11. 01 यात्रा व्यय	4,00,000	4,00,000	4,00,000
योग-04-2070.00.115.0002.11 यात्रा व्यय	4,00,000	4,00,000	4,00,000
13-कार्यालयी व्यय			
0002.13. 01 कार्यालय व्यय	27,50,000	27,50,000	27,50,000
0002.13. 02 वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव	1,65,00,000	1,65,00,000	1,65,00,000
0002.13. 03 दूरभाष	16,78,000	16,78,000	16,78,000
0002.13. 04 विद्युत प्रभार	2,00,00,000	2,00,00,000	2,00,00,000
0002.13. 06 वर्दी / पोशाक	3,50,000	3,50,000	3,50,000
योग-04-2070.00.115.0002.13 कार्यालयी व्यय	4,12,78,000	4,12,78,000	4,12,78,000
14-किराया दरें और कर			
0002.14. 01 किराया महसूल एवं कर	18,000	18,000	18,000
योग-04-2070.00.115.0002.14 किराया दरें और कर	18,000	18,000	18,000
20-अन्य प्रशासनिक व्यय			
0002.20. 01 आतिथ्य व्यय	8,00,000	8,00,000	8,00,000
योग-04-2070.00.115.0002.20 अन्य प्रशासनिक व्यय	8,00,000	8,00,000	8,00,000
21-सामग्री और आपूर्ति			
0002.21. 01 सामग्री एवं पूर्तियां	25,00,000	25,00,000	25,00,000
योग-04-2070.00.115.0002.21 सामग्री और आपूर्ति	25,00,000	25,00,000	25,00,000
28-व्यावसायिक सेवाएँ			
0002.28. 01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	0	0	0
0002.28.02 संविदा सेवाएँ	4,00,00,000	4,00,00,000	4,00,00,000
योग-04-2070.00.115.0002.28 व्यावसायिक सेवाएँ	4,00,00,000	4,00,00,000	4,00,00,000
51 01 मोटर गाड़ी - कार्यालय	0	0	0
योग -04-2070.00.115.0002 बिहार भवन स्थापना	12,14,38,000	12,14,38,000	12,14,38,000


3. आवंटित राशि का व्यय मांग सं०-04 के मुख्यशीर्ष-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-00-115-अतिथिगृह, सरकारी होस्टल आदि-0002-बिहार भवन स्थापना विपत्र कोड - 04-2070001150002 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में विकलनीय होगा।

4. आवंटित राशि का व्यय वित्त, विभाग के परिपत्र सं०-2561/वि०(2) दिनांक-17.04.98 में निहित प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र में यह अंकित किया जायेगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध एवं आवंटित राशि के अधीन है। संबंधित विपत्र में विभाग के आवंटनादेश संख्या एवं तिथि का भी उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र की निकासी की जायेगी।

5. किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जायेगा न ही आवंटित राशि से अधिक राशि का व्यय किया जायेगा।

6. प्रत्येक माह के 10 तारीख तक विषयशीर्षवार व्यय तथा अवशेष आवंटन का प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजिन,



(राम विलास पासवान)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक :- ए०/नया०/बजट-08-1022/2017.....०५..... पटना-15, दिनांक-.....०९..... मई, 2017
प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, बिहार भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

पटना-15, दिनांक-.....०९..... मई, 2017

ज्ञापांक :- ए०/नया०/बजट-08-1022/2017.....०५..... पटना-15, दिनांक-.....०९..... मई, 2017
प्रतिलिपि :- महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

पटना-15, दिनांक-.....०९..... मई, 2017

ज्ञापांक :- ए०/नया०/बजट-08-1022/2017.....०५..... पटना-15, दिनांक-.....०९..... मई, 2017
प्रतिलिपि :- वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/मुख्य प्रशासी पदाधिकारी एवं लेखा पदाधिकारी,
बिहार भवन, नई दिल्ली/ मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/ आई०टी०मैनेजर, कम्प्यूटर
कोषांग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।